मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
(सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ)
मंत्रालय,भोपाल

क्रमांक एफ–11–277/2016/सूअप्र/1–9/1143 भोपाल,दिनांक 24/12/2016

विषयः–मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग में सूचना आयुक्तों की नियुक्ति बाबत्।

राज्य शासन सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा –15 के तहत मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग में सूचना आयुक्तों की नियुक्ति हेतु भारत के नागरिकों से, जो इस पद की योग्यता एवं अनुभव धारण करते हैं, आवेदन पत्र आमंत्रित करता है।

सामान्य विवरण :–

1.योग्यता

आवेदक विधि, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, समाजसेवा, प्रबंध, पत्रकारिता, जनसम्पर्क माध्यम या प्रशासन और शासन में व्यापक ज्ञान और अनुभव रखने वाला प्रख्यात व्यक्ति होना चाहिए।

परन्तु राज्य सूचना आयुक्त, यथास्थिति, संसद का सदस्य या किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के विधान मंडल का सदस्य नहीं होगा या कोई अन्य लाभ का पद धारण नहीं करेगा या कोई कारबार नहीं करेगा या कोई वृत्ति नहीं करेगा।

2. वेतन एवं भत्ते

संदेय वेतन और भत्ते तथा सेवा के अन्य निबन्धन और शर्ते :–

राज्य सूचना आयुक्त की वही होंगी, जो राज्य सरकार के मुख्य सचिव की है,

परन्तु यदि राज्य सूचना आयुक्त के पद पर कोई ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति होती है, जो नियुक्ति के समय भारत सरकार के अधीन या किसी राज्य सरकार के अधीन या किसी पूर्व सेवा के संबंध में कोई पेंशन, अक्षमता या क्षति पेंशन से भिन्न, प्राप्त कर रहा हो तो राज्य सूचना आयुक्त के रूप में सेवा के संबंध में उसके वेतन में से उस पेंशन की रकम को जिसके अंतर्गत पेंशन का ऐसा भाग जिसे संराशिकृत किया गया था और सेवानिवृत्ति उपदान के समतुल्य पेंशन को छोड़कर अन्य प्रकार के सेवानिवृत्ति फायदो के समतुल्य पेंशन भी है, रकम को कम कर दिया जाएगा।

परन्तु यह और कि जहां सूचना आयुक्त, अपनी नियुक्ति के समय किसी केन्द्रीय अधिनियम या राज्य अधिनियम

निरंतर.........................2

द्वारा या उसके अधीन स्थापित किसी निगम या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी सरकारी कंपनी में की गई किसी पूर्व सेवा के संबंध में सेवा निवृत्ति फायदे प्राप्त कर रहा है वहां सूचना आयुक्त के रूप में सेवा के संबंध में उसके वेतन में से सेवानिवृत्ति फायदो के समतुल्य पेंशन की रकम कम कर दी जाएगी।

3.कार्यकाल

सूचना आयुक्त उस तारीख से, जिसको वह अपना पदभार ग्रहण करता है, पांच वर्ष की अवधि के लिये या पेसठ वर्ष की आयु पूर्ण करने तक, इनमें से जो भी पूर्वोत्तर हो, पद धारण करेगा।

4. आवेदन पत्र प्रेषित करने का पता

आवेदक इस विज्ञप्ति के साथ संलग्न प्रारूप में आवेदन पत्र पूर्ण एवं सुस्पष्ट जानकारी अंकित करते हुए **उप सचिव मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग कक्ष कमांक 424 डी चतुर्थ तल वल्लभ भवन भोपाल 462004** के पते पर रजिस्टर्ड डाक से या व्यक्तिगत रूप से कार्यलयीन समय में जमा कर सकते है।

5. अंतिम तिथि

सूचना आयुक्त के पद हेतु आवेदन पत्र दिनांक 10 जनवरी 2017 को सायं 5:30 तक प्राप्त किये जावेंगे।

टीपः– (1) अपूर्ण एवं अहस्ताक्षरित एवं उक्त अंतिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा।

(2) आवेदक लिफाफे पर स्पष्ट रूप से "राज्य सूचना आयुक्त के पद हेतु आवेदन पत्र" अंकित करें।

(3) आवेदक अपनी योग्यता, ख्याती एवं सेवा आदि संबंधी अभिलेखों की स्वयंप्रमाणित पठनीय छायाप्रतियां शामिल कर सकते है।

(4) आवेदक के विरूद्ध किसी न्यायालय में और केन्द्र या राज्य की सेवा में रहे हो तो कोई आपराधिक/विभागीय जांच का मामला लंबित नहीं होना चाहियें तथा आवेदक को किसी न्यायालय द्वारा दंडित नहीं किया गया होना चाहिये।

(के0 के0 कातिया)
अपर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग (सूअप्र)

मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग में सूचना आयुक्तों की नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र

फोटो

1. आवेदक का नाम– ....
2. पिता का नाम– ....
3. जन्मतिथि.......................आयु, वर्ष.......................माह .... दिन ....
(दिनांक 1 जनवरी, 2017 की स्थिति में)
4. वर्ग (अ.जा./अ.ज.जा/अन्य पिछड़ा वर्ग) ....
5. योग्यता–
   (1) शैक्षणित योग्यता ....
   (2) विधि/विज्ञान और प्रौद्योगिकी / समाज सेवा/प्रबंधन/पत्रकारिता जनसंपर्क माध्यम या प्रशासनिक अनुभव का विवरण। ....
   (3) विशिष्ट योग्यता/संबंधित विषय में ख्याति प्राप्त होने संबंधी टीप जानकारी। ....
6. यदि केन्द्र या राज्य शासन के अधीन कोई पद धारण करते थे तो उसका विवरण :–
   (1) नियुक्ति का दिनांक ....
   (2) सेवानिवृत्ति का दिनांक ....
   (3) सेवानिवृत्ति के समय धारित पद ....
   (4) वर्तमान व्यवसाय ....
7. यदि कोई आपराधिक प्रकरण/विभागीय जॉच लम्बित हो तो जानकारी दी जावे। ....
8. यदि कोई आपराधिक प्रकरण/विभागीय जॉच में दण्डित हुए हों तो विवरण दे। ....
9. वर्तमान पत्राचार का पता– ....
10. (अ) दूरभाष कमांक (एस.टी.डी. कोड सहित) ....
    (ब) मोबाईल नंबर ....
    (स) ई–मेल एड्रेस ....
11. मेरे द्वारा विज्ञप्ति में उल्लेखित समस्त शर्ते पढ़ ली गई हैं, जिनमें मैं सहमत हूं एवं आवेदन पत्र में दिये गये संपूर्ण तथ्य मेरी जानकारी के अनुसार सत्य हैं ।

स्थान:–..........................

दिनांक:–........................

आवेदक के हस्ताक्षर